REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052023-245766 CG-DL-E-09052023-245766

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945
No. 2044]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/ VAISAKHA 19, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

का.आ. 2134(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
629	एनई 1ए	गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास एनई1 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर देहगांव, गांधी नगर,
		महेसाणा, उंझा, पाटन को जोड़ने वाला और थराद के पास रारा-754ए के साथ अपने जंक्शन पर
		समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणधीन ग्रीनफिल्ड)।

[फा. सं. एनएच-14012/5/2023-पी एण्ड एम]

अभय जैन, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 1154, दिनांकित 10 मार्च, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2023

S.O. 2134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
629	NE 1A	The Expressway (Under Construction Greenfiled) starting from its junction with NE 1 near Ahmedabad connecting Dehgam, Gandhi Nagar, Mahesana, Unjha, Patan and terminating at its junction with NH-754A near Tharad in the State of Gujarat.

[F. No. NH-14012/5/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Footnote: - The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1154(E), dated 10th March, 2023.